

राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

क्रमांक एफ 27(263) ग्रावि/गुप-5/जीकेएन/उपापन/2015-16/ E.O. No.- जयपुर, दिनांक: 13/9/17

स्थायी आदेश संख्या-35/2017 (संशोधित)

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ- 27 (79) ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के परिशिष्ट 1 का बिन्दु संख्या -1 (ब) में वर्णित प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने की सीमा एवं परिशिष्ट 2 के बिन्दु संख्या -1 (ब) में वर्णित वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बंध में जारी विभागीय स्थायी आदेश संख्या 34/2017 दिनांक 22.08.2017 को तुरन्त प्रभाव से निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित निर्देश जारी किये जाते हैं :-

परिशिष्ट 1 :- प्रशासनिक स्वीकृति

क्र.स	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी / समिति जिसको शक्तियां निहित हैं	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में),		शर्तें/टिप्पणीया
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1 (ब)	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (केवल महात्मा गांधी नरेगा के लिए)	जिला कलक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस	सम्पूर्ण शक्तिया	15.00 लाख तक	शर्तें/टिप्पणीवार कम संख्या 1 से 12 व आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा लागू शर्त संख्या-13 यथावत लागू रहेगी
		राज्य सरकार	-	सम्पूर्ण शक्तिया	
1 (ब)	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (केवल विधायक, सांसद कोष के लिए)	जिला कलक्टर	50.00 लाख तक	15.00 लाख तक	शर्तें/टिप्पणीवार कम संख्या 1 से 12 व आदेश दिनांक 06 अप्रैल, 2016 द्वारा लागू शर्त संख्या-13 यथावत लागू रहेगी
		राज्य सरकार	सम्पूर्ण शक्तिया	सम्पूर्ण शक्तिया	

परिशिष्ट 2 :- वित्तीय स्वीकृति (संशोधित सहित)

क्र.स	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतिकर्ता अधिकारी / समिति जिसको शक्तियां निहित हैं	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में),		शर्तें/टिप्पणीया
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1 (ब)	निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति (मूल) (केवल महात्मा गांधी नरेगा के लिए)	जिला कलक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस	सम्पूर्ण शक्तिया	15.00 लाख तक	शर्तें/टिप्पणीया कम संख्या 1 से 10 तक यथावत लागू रहेगी
		राज्य सरकार	-	सम्पूर्ण शक्तिया	
1 (ब)	निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति (मूल) (केवल विधायक, सांसद कोष के लिए)	जिला कलक्टर	50.00 लाख तक	15.00 लाख तक	शर्तें/टिप्पणीया कम संख्या 1 से 10 तक यथावत लागू रहेगी
		राज्य सरकार	सम्पूर्ण शक्तिया	सम्पूर्ण शक्तिया	

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगे।


(सुदर्शन सेठी) 12-9-2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
6. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, वित्त, आयोजना, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग/ ग्रा.वि. एवं पंचा. राज. विभाग/ सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), समस्त, राजस्थान।
5. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
9. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/ वित्तीय सलाहकार/ अधीक्षण अभियंता/ अधिशाषी अभियंता, ग्रावि एवं परावि/ ईजीएस/ जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
11. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
12. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
13. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/ अभियान्त्रिकी/ जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग, जि.प. समस्त राजस्थान।
15. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक सहायक/ कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
16. रक्षित पत्रावली।


अधीक्षण अभियंता, ग्रावि